जनपद में स्थापित निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम , मेडिकल क्लिनिक तथा निजी चिकित्सक जो चिकित्सा सेवायें प्रदान करते हों तथा निजी पैथालाजी, डायग्नोस्टिक क्लिनिक अथवा फर्म सोसायटी ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लि0 के पंजीकरण एवं पंजीकरण नवीनीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–81/पॉच–6–2004–डब्लू0–5/02 चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ दिनॉक 13 फरवरी 2004 के अनुसार पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्राविधानः–

.1 निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम , मेडिकल क्लिनिक तथा निजी चिकित्सक जो चिकित्सा सेवायें प्रदान करते हों तथा निजी पैथालाजी, डायग्नोस्टिक क्लिनिक अथवा फर्म सोसायटी ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लि0 को पंजीकरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

2. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करने होंगें।

   1. सम्बन्धित आवेदनकर्ता को प्रतिष्ठान का पूर्ण विवरण,
   2. पंजीकृत/अधिकृत सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों के नाम, उनकी अर्हता और पंजीकरण के प्रमाणपत्र ।
   3. पैरामेडिकल स्टाफ जो इस हेतु सेवायोजित किये गये हैं की योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र।
   4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नोटरी का शपथपत्र ।
   5. अग्निशमन सम्बन्धी प्रमाणपत्र।
   6. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट/प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी प्रमाणपत्र।

3. आवेदनकर्ता संस्था के संचालक/चिकित्सक का आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. पंजीकरण नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक कराया जायेगा।